न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस
मुकदमा न0 राजस्व वाद 86/2019

वादीगण :

1. उम्मेदाराम पुत्र श्री सुराराम
2. करनाराम पुत्र श्री दलाराम
3. बन्नाराम पुत्र श्री दलाराम
4. बाबाराम पुत्र दलाराम
5. चमु बेवा दलाराम जाति जाट सभी निवासीयान पनोतरीनाडी, टापरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. अचलाराम पुत्र गिरधारीराम
2. धापुदेवी पत्नी गिरधारीराम
3. पोकरराम पुत्र कोलाराम जाति निवासीयान पनोतरी नाडी, टापरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर।
4. लाखाराम पत्रु सताराम
5. नवलाराम पुत्र सताराम
6. जोगाराम पुत्र सताराम
7. किरताराम पुत्र सताराम
8. प्रेमाराम पत्रु सताराम सभी जातियान जाट निवासीयान साजटा तह0 व जिला बाडमेर
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदारजी पचपदरा जिला बाडमेर ।

वाद बाबत आज्ञापक आदेश के जरिये कब्जा हटाने व खातेदारी भूमि पर कब्जा दिलाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– 1. श्री देवीसिंह वादीगण वकील

निर्णय **दिनांक :– 17.8.2022**

वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया । वाद के तथ्य [illegible] इस प्रका[illegible] वादीगण की कब्जासुदा व काश्तसुदा संयुक्त खातेदारी भू[illegible] [illegible] क्षेत्र टापरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जसोल [illegible] जिला बाडमेर में खसरा संख्या 707 रकबा 19–19 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा सं[illegible]44 रकबा 1–19 बीघा किस्म बारानी सोयम वादी संख्या –1 उम्मेदाराम का हक हिस्सा है तथा खसरा संख्या 704 रकबा 19–10 बीघा किस्म बारानी सोयम पर वादीगण संख्या 2 से 5 का हक हिस्सा है उक्त खातेदारी भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 16:50:04 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

वादीगण अपने अपने हक हिस्से का उपयोग उपभोग करने के अधिकारी है एवं वादीगण खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण को किसी अवैध कब्जा या अनुचित निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण अपनी उक्त खातेदारी भूमि का उपयोग निरन्तर कर रहे है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की भूमि वादीगण के खसरान की भूमि के पडोस में आई हुई है, तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 प्रभावशाली व्यक्ति है, जो येनकेन तरीके से वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर लाठी के बल पर कब्जा करने पर उतारू थें, जिस पर वादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने हेतु धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत आवेदन पत्र संख्या 75/2017 बअनवान उम्मेदाराम वगैराह बनाम अचलाराम वगैराह में दिनांक 30.03.2017 को निर्णित करने पर तहसीलदार पचपदरा के द्वारा दिनांक 20.12.2017 को खसरा नम्बर 707, 744, 704 कुल रकबा 41–08 बीघा की नेखमबंदी जिला कार्यालय बाडमेर के मोमीट्रेस संख्या 1071 दिनांक 03.05.2017 के मोमीट्रेस से स्थायी बिन्दु संख्या 735, 736, 737, 738 के मध्य की माठ को बिन्दु संख्या 636 दर्ज कर खसरा संख्या 706, 704, 705 के मध्य की माठ को 304 गटठा मापकर बिन्दु संख्या 637 कायम किया गया, इसके बाद खसरा संख्या 707, 708, 709 के मध्य बिन्दु को 348 गटठा मापकर बिन्दु संख्या 636 से मिलान किया गया जो बिन्दु संख्या 640 कायम हुआ। बिन्दु संख्या 640 से खसरा संख्या 707 की उत्तरी माठ 35 गटठा मापकर बिन्दु संख्या 641 दर्ज कर बिन्द संख्या 637 से 331 गट्ठा मिलान किया गया । खसरा संख्या 709, 710 व 698 की माठ से 676 से 661 गटठा का मिलान किया गया । बिन्दु संख्या 641 से 120 गटठा मापकर खसरा संख्या 703, 704, 707 की माठ बिनाकर बिन्दु संख्या 642 कायम किया गया जो 358 गटठा का बिन्दु संख्या 636 से मिलान किया। खसरा संख्या 709, 710, 698 की माड से 640 व 641 बिन्दु का मिलान किया गया । बिन्दु संख्या 642 से 23 गट्ठा मापकर बिन्दु संख्या 643 कायम कर इसका बिन्दु संख्या 636 व 640 से मिलान किया गया, इसके बाद बिन्दु संख्या 643 से 106 गटठा [illegible] कायम कर बिन्दु संख्या 636 से 400 गटठा का मिलान किया गया । बिन्दु 644 [illegible] माप कर बिन्दु संख्या 645 कायम बिन्दु संख्या 636 से 332 [illegible] मिलान किया [illegible] बिन्दु संख्या 640 से 93 गटठा माप कर खसरा संख्या [illegible] 707 [illegible] बिन्दु कायम कर 298 गटठा मिलान किया, जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 [illegible] द्वारा नाजायज कब्जा करना पाया जाने पर लाईन पर कब्जा पडौसीयान का दर्शाया गया जो मौका फर्द से स्पष्ट है कि वादीगण की खसरान में प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा कर दिया है, कब्जा हटाकर वादीगण को सुपुर्द करने का वक्त मौका निरीक्षण

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 16:50:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

कहा था, लेकिन प्रतिवादीगण प्रभावशाली होने से लाठी के बल पर वादीगण को खातेदारी भूमि का कब्जा सुपुर्द नही किया गया है।

वादीगण की खातेदारी भूमि से बेदखल करने हेतु प्रतिवादीगण आमदा है,इसलियें वीगण की भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा एवं वादीगण की उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा सुपुर्द करने हेतु विधि के अनुसार वाद प्रसतुत किया गया है।

अंत में निवेदन किया गया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व डिक्री पारित की जाकर प्रतिवादीगण का अनुचित अतिक्रमण से बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने एवं प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाने का वादपत्र पेश किया गया ।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये, प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गयी।

वादीगण की और से साक्ष्य वादी में उम्मेदाराम पीडब्लू–1, करनाराम पीडब्लू–2, दलाराम पीडब्लू–3 जेठाराम पीडब्लू–4 उमाराम पीडब्लू–5 थानाराम पीडब्लू–6 अचलाराम पीडब्लू– 7 प्रस्तुत किये गये, के द्वारा दस्तावेजात प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित कराये गये तथा सभी गवान के बयान कलम बंद किये गये।

हमनें वादीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस को सुनी गई, वादीगण के विद्ववान अधिवक्ता के द्वारा वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया, एवं वाद पत्र में वादीगण की से साक्ष्य वादी में प्रस्तुत गवाहान एवं प्रदर्श करवाये गये साक्ष्य सबूतों के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन करने से जाहिर होता है कि वादगस्त आराजी खसरा संख्या 707 रकबा 19–19 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 744 रकबा 1–19 बीघा व खसरा संख्या 704 रकबा 19 बीघा 10 विस्वा किस्म बारानी सोयम भूमि सरहद मौजा पनोतरी नाडी में आयी हुई है। [illegible] द्वारा प्रस्तुत गवाहान एवं प्रदर्श करवाये गये दस्तावेजात प्रदर्श [illegible] संवत 2073–2076,जमाबंदी नकल 2073–76 प्रदर्श –2, नक्शा प्रदर्श –3, [illegible]लदार पचपदरा के द्वारा नेखमबंदी पालना फर्द रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपी प्र[illegible]4, मौका नक्शा नेखमबंदी प्रदर्श–5, परिशिष्ट 'ब', प्रदर्श, न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.3.2017 प्रदर्श–6, आवेदन पत्र संख्या 75 / 2017 बउनवान उम्मेदाराम वगैराह बनाम अचलाराम वगैराह में दिनांक 30.03.201 के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि तहसीलदार पचपदरा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 16:50:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

द्वारा नेखमबंदी पालना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श 4, में अंतिम पद में वर्णित किये गये तथ्यों अनुसार लाईनो पर पड़ोसीयों प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 का कब्जा आ रहा है। तथा वादीगण की भूमि कम पड़ रही है। मौजा पनोतड़ी नाडी के खसरा संख्या 707 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा किसम बारानी सोयम खसरा संख्या 744 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी सोयम खसरा संख्या 704 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी सोयम की भूमि दबी हुई है। उपरोक्त वादीगण की खातेदारी भूमि पर से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाके उनकी खातेदारी वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर सरहद मौजा पनोतड़ी नाडी के खसरा संख्या 707 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा किसम बारानी सोयम खसरा संख्या 744 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी सोयम खसरा संख्या 704 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी सोयम वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 से 8 नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 प्रदर्श 4 के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 का कब्जा किया जाना स्पष्ट किया गया है, प्रतिवादीगण को बेखल करने हेतु तहसीलदार, पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि एक अनुभवी राजस्व टीम का गठन कर वादग्रस्त आराजी की पुनः मौके पर पैमाईश करवाकर मौके पर पक्के नेखम स्थापित कर प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी भूमि से बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया जावे, एवं पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 08 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है, कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 द्वारा वादीगण के हिस्से की भूमि व उसके कब्जे व काश्त में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करें।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 17.8.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 16:50:04 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(SDO) बालोतरा

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Cill Procedure Code Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.

मुकदमा न0 राजस्व वाद 86 / 2019

वादीगण :-

1. उम्मेदाराम पुत्र श्री सुराराम
2. [illegible]राम पुत्र श्री दलाराम
3. वन्नाराम पुत्र श्री दलाराम
4. बालाराम पुत्र दलाराम
5. चमु बेवा दलाराम जाति जाट सभी निवासीयान पनोतरीनाडी, टापरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. अचलाराम पुत्र गिरधारीराम
2. धापुदेवी पत्नी गिरधारीराम
3. पाकरराम पुत्र कोलाराम जाति निवासीयान पनोतरी नाडी, टापरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर।
4. लाखाराम पत्रु सताराम
5. नवलाराम पुत्र सताराम
6. जोगाराम पुत्र सताराम
7. किरताराम पुत्र सताराम
8. प्रेमाराम पत्रु सताराम सभी जातियान जाट निवासीयान साजंटा तह0 व जिला बाडमेर
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदारजी पचपदरा जिला बाडमेर।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

वाद बाबत आज्ञापक आदेश के जरिये कब्जा हटाने व खातेदारी भूमि पर कब्जा दिलाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री देवीसिंह महेंचा वकील वादीगण मिनजानिब मुददायलाह एकतरफा पेश होकर [illegible] जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर सरहद मौजा पनोतडी नाडी के [illegible] 19 बीघा 19 विस्वा किसम बारानी सोयम ख[illegible] 744 [illegible] बीघा 19 विस्वा किस्म बारानी सोयम खसरा संख्या 704 रकबा 19 बीघा 10 विस्वा [illegible]म बारानी सोयम वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 से 8 नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 प्रदर्श 4 के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 का कब्जा किया जाना स्पष्ट [illegible] प्रतिवादी[illegible] को बेखल करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये [illegible] कि एक अनुभवी राजस्व टीम का गठन कर वादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 16:50:04 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)

व पुनः मौके पर पैमाईश करवाकर मौके पर पक्के नेखम स्थापित कर प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी भूमि से बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया जावे, एवं पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 08 के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है, कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 द्वारा वादीगण के हिस्से की भूमि व उसके कब्जे व काश्त में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करें।

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारिख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.08.2022 को जारी की गई।

(S.D.O.)
सहायक कलक्टर बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

मुद्दई	रूपया	पै	मुद्दयलाह	रूपया	पै
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		
	3.00				

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 16:50:04 IST
Reason: SelfAttested